

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 415/14

संस्थापन दिनांक:-09/07/14

फाईलिंग नं. 233504004222014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. राजकुमार पिता रामू उम्र 50 वर्ष
2. गोकुल पिता रामू उम्र 35 वर्ष
3. गुड्डी पति गोकुल, उम्र 26 वर्ष
सभी निवासी जम्बाड़ा, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.07.2014 को समय सुबह 07:00 बजे या उसके लगभग ग्राम जम्बाड़ा प्रार्थिया के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी प्रिया और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी प्रिया को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में आहत प्रिया को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी प्रिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.07.2014 को सुबह 7 बजे उसके घर के सामने बैठी थी। उसके पूर्व उसका अभियुक्तगण से शादी में ढोल बजाते समय ढोल फूट जाने के संबंध में हिसाब चल रहा था। हिसाब नहीं होने की बात को लेकर अभियुक्तगण राजकुमार एवं गोकुल उसके घर के सामने आकर उसकी मां राधा एवं पिता सुरेश को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे जिस पर उसने अभियुक्तगण से कहा कि गाली क्यों दे रहे हो मेरे मां पिताजी घर पर नहीं है तो अभियुक्तगण उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे तभी अभियुक्त गुड्डी भी वहां आ गयी और से गंदी गंदी गाली देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण ने उसे जान से

खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 492/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी प्रिया और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रिया को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में आहत प्रिया को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 03 का निराकरण

5 प्रिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण उसे छिनाल, भोसड़ा चोदी की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे जो सुनने में गंदी लग रही थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी/फरियादी प्रिया (अ.सा.-1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ

में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी प्रिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण उसे जान से मारने की धमकी दिये थे परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

7 प्रिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त गोकुल, राजकुमार उनके घर पर लकड़ी एवं डंडे लेकर खड़े रहे तथा अभियुक्त गुड्डी, राजकुमारी एवं राधिका ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की जिससे उसे दोनों पैर और बांये हाथ पर चोट आयी थी।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 03.07.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत प्रिया का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ में दाहिनी तरफ खरोच के निशान पाये थे। साक्षी ने उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना संभावित होकर उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-8) को प्रमाणित किया है।

9 मंगलमूर्ति (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 03.07.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 492/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 04.07.2014 को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 07.07.2014 को अभियुक्तगण राजकुमार, गोकुल तथा गुड्डी को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-5, प्रदर्श प्री-6 एवं प्रदर्श प्री-7 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

10 चंदोबाई (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन उक्त साक्षी ने प्रकट नहीं किये हैं। ममता (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह सुबह सुबह अपने घर से शौच के लिए जा रही थी तभी उसने देखा कि कुछ

लोगों के बीच में गाली गलौच हो रहा है इसके बाद वह आगे चली गयी। उक्त साक्षी से भी अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर एकमात्र आहत प्रिया (अ.सा.-1) के कथन हैं तथा उसके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने उसके कथनों का समर्थन नहीं किया है। साथ ही फरियादी के परिवार वालों की अभियुक्तगण से पूर्व से रंजिश है। अतः एकमात्र आहत के कथनों पर अभियोजन के संपूर्ण मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन का मामला ध्वस्त नहीं हो जाता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय हो तो एकमात्र उसके कथनों पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि प्रिया (अ.सा.-1) के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है अथवा नहीं।

13 प्रिया (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना से कुछ दिन पूर्व उसके भाई अमर के हाथ से ढोल फूट गया था इसी बात पर से अभियुक्तगण से विवाद चल रहा था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि इसी बात पर से घटना दिनांक को सुबह 7 बजे जब उसका भाई एवं उसके परिवार के सभी लोग घर पर थे तभी अभियुक्तगण राजकुमार, गुड्डीबाई, गोकुल आये, साथ में राधिका को भी लेकर आये। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त गोकुल एवं राजकुमार हाथ में डंडा लेकर खड़े रहे तथा अभियुक्त गुड्डीबाई ने एवं उनके साथ ही राजकुमारी एवं राधिका ने हाथ मुक्के से मारपीट की। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मारपीट से उसके दोनों पैर और बांये हाथ में चोट आयी थी तथा संपूर्ण घटना उसके परिवार वालों ने एवं ममता तथा रामप्रसाद ने देखा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना के समय सो कर उठी थी तथा सुबह-सुबह

राजकुमार, राजकुमारी, गोकुल, राधिका, गुड्डी सभी लोग एक साथ घर पर मारपीट करने के लिए आये थे। पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि जैसे ही वे लोग घर के बाहर निकले तो अभियुक्तगण उसके घर के सभी लोगों को मारने लगे।

14 प्रिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि ढोल फूट जाने की बात पर से अभियुक्तगण से पूर्व से विवाद चल रहा था तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में भी ढोल फूट जाने की बात पर से उसके पिता एवं अभियुक्तगण के बीच नुकसानी के पैसों के लेनदेन पर से विवाद होना बताया है। अतः उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश होना प्रकट हो रहा है। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को फरियादी प्रिया सुबह 7 बजे घर के सामने बैठी थी तभी अभियुक्तगण आये, उसे गालियां देने लगे तब फरियादी ने कहा कि उसके मां पिता घर पर नहीं है, गाली मत दो तो अभियुक्त राजकुमार एवं गोकुल हाथ थप्पड़ से मारपीट किये तथा इसके बाद अभियुक्त गुड्डीबाई आयी और उसने भी उसे हाथ थप्पड़ से मारा। जबकि न्यायालयीन परीक्षण में प्रिया (अ.सा.-1) ने अभियुक्त गोकुल एवं राजकुमार के द्वारा लकड़ी एवं डंडा लेकर खड़े रहना बताया है तथा अभियुक्त गुड्डी एवं उनके परिवार के दो अन्य व्यक्ति राजकुमारी एवं राधिका के द्वारा हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने न्यायालयीन परीक्षण में नवीन तथ्यों का समावेश किया है। साथ ही साक्षी ने मारपीट से पैर एवं बांये हाथ में चोट आना बताया है। जबकि चिकित्सकीय रिपोर्ट में आहत की पीठ पर मात्र खरोच के निशान पाये गये हैं। इस प्रकार आहत के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं हैं।

15 आहत/फरियादी प्रिया (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। प्रिया (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि उसने उसके पिता एवं भाई के द्वारा बताये अनुसार रिपोर्ट लेख करायी थी। फरियादी प्रिया (अ.सा.-1) के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है। साथ ही किसी भी स्वतंत्र साक्षी से उसकी साक्ष्य समर्थित नहीं है। साक्षी के द्वारा नवीन तथ्यों का अपने परीक्षण में समावेश किया गया है। उसके द्वारा बताये गये स्थान पर चोट भी नहीं पायी गयी है तथा उसके द्वारा अभियुक्त गोकुल एवं राजकुमार के द्वारा उसे मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं। अतः एकमात्र आहत/फरियादी प्रिया (अ.सा.-1) के कथनों पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित

किये जिससे फरियादी प्रिया और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी प्रिया को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में आहत प्रिया को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी प्रिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण राजकुमार, गोकुल एवं गुड्डी को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)